क्रम संख्या–55

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 100/XXXVI(3)/2015/18(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2015)

[भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम हो:–

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 खण्ड (छ) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 2 का खण्ड (छ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

''आमोद के अन्तर्गत डाईरेक्ट टू होम (डीटी0एच0) प्रसारण सेवा तथा कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, आमोदन, क्रीड़ा यथा बॉलिंग एले, वॉटर स्पोर्ट्स, कठपुतली, जॉइण्ट व्हील, कौशल के खेल, वीडियों गेम, रोप–वे से की जाने वाली सवारी, जहां पर गन्तव्य तक पहुंचने के अन्य विकल्प (चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाये) पैडलबोट, वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिए उड़ान, हॉट एअर गैस बलूनिंग, पैराग्लाईडिंग आदि, खेलकूद या दौड़ (घोड़ा दौड़ भी) है, जिसमें अदायगी करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शनी भी दशा में, इसमें न्यूज रील, वृत्तचित्र, कार्टून, विज्ञापन शॉट या स्लाईड का प्रदर्शन भी है चाहे उन्हे किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान या पृथकतः प्रदर्शित किए जायँ।''

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।